उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

सं0 /2016/181(120)/XXVII(8)/2008

दिनांक:: देहरादून :: 29 फरवरी, 2016

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 71 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं–

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 26 का संशोधन

3. "मूल नियम" के नियम 26(ग) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (2) एवं (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिए जाएंगे; अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
26(ग) घोषणा पत्रों द्वारा माल का राज्य के अन्दर आयात/परिवहन :	26(ग) घोषणा पत्रों द्वारा माल का राज्य के अन्दर आयात/परिवहन :
(2) जहाँ ऐसे माल का सड़क मार्ग से परेषण किया जाना है :	(2) जहाँ ऐसे माल का सड़क मार्ग से परेषण किया जाना है :
(क) किसी यान या माल के संचलन के समय उसका स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व कमिश्नर द्वारा विहित प्ररूप (जिसे आगे "ट्रिप शीट" कहा गया है) में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा:–	(क) किसी यान या माल के संचलन के समय उसका स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राईवर या प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व कमिश्नर द्वारा विहित प्ररूप (जिसे आगे "ट्रिप शीट" कहा गया है) में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखेगा:–
(i) ऑनलाईन प्रस्तुत की गई ई–जनरेटेड ट्रिप शीट की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित दो प्रतियाँ;	(i) ऑनलाईन प्रस्तुत की गई ई–जनरेटेड ट्रिप शीट की सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित दो प्रतियाँ;
(ii) आयात के लिए प्ररूप–XVI में घोषणा पत्र या आयात के लिए प्ररूप–XVII में प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रूप से डुप्लीकेट में भरे हुए एवं परेषक द्वारा सत्यापित;	(ii) आयात के लिए प्ररूप–XVI में घोषणा पत्र या आयात के लिए प्ररूप–XVII में प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, पूर्ण रूप से डुप्लीकेट में भरे हुए एवं परेषक द्वारा सत्यापित;
(iii) बिक्री बीजक/बिल या चालान/इसी तरह	(iii) बिक्री बीजक/बिल या चालान/इसी तरह

आवश्यक कार्यवाही करें

अपर आयुक्त कर उत्तराखण्ड, देहरादून

के अन्य दस्तावेज; (iv) माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/ बिल्टी।	के अन्य दस्तावेज; (iv) माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/ बिल्टी।
(ख) ट्रक का स्वामी या परिवहन एजेन्सी, अग्रेषण एजेन्सी या क्लियरिंग एजेन्ट, जैसी भी स्थिति हो, परेषिती को परेषित माल का परिदान देते समय घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की डुप्लिकेट कॉपी, जैसी भी स्थिति हो, और माल के साथ बिक्री बीजकों, बिलों, चालानों का भी परिदान देगा।	(ख) ट्रक का स्वामी या परिवहन एजेन्सी, अग्रेषण एजेन्सी या क्लियरिंग एजेन्ट, जैसी भी स्थिति हो, परेषिती को परेषित माल का परिदान देते समय घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की डुप्लिकेट कॉपी, जैसी भी स्थिति हो, और माल के साथ बिक्री बीजकों, बिलों, चालानों का भी परिदान देगा।
(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयातकर्ता, उसे उसके अभिकर्ता की परिदान दी गई घोषणा पत्रों की प्रतियों एवं अन्य दस्तावेजों को ऐसे समय तक, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, सुरक्षित रखेगा और कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे समय के अन्तर्गत और ऐसे तरीके से, जैसा कि कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।	(ग) खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयातकर्ता, उसे उसके अभिकर्ता की परिदान दी गई घोषणा पत्रों की प्रतियों एवं अन्य दस्तावेजों को ऐसे समय तक, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, सुरक्षित रखेगा और कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष ऐसे समय के अन्तर्गत और ऐसे तरीके से, जैसा कि कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किया जाए, प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह कि कमिश्नर विज्ञप्ति द्वारा ई–डेक्लेरेशन/ई–फार्म– XVI का प्रयोग करने के लिए वह प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।
(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया गया है, वहाँ माल लाने वाला व्यक्ति प्ररूप–XVI में घोषणा पत्र या प्ररूप–XVII में प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने साथ रखेगा और आयातकर्ता ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाए, कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करेगा।	(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया गया है, वहाँ माल लाने वाला व्यक्ति प्ररूप–XVI में घोषणा पत्र या प्ररूप–XVII में प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने साथ रखेगा और आयातकर्ता ऐसे समय के अन्दर और ऐसी रीति से, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाए, कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पृष्ठांकन के लिए प्रस्तुत करेगा। परन्तु यह कि कमिश्नर विज्ञप्ति द्वारा ई–डेक्लेरेशन/ई–फार्म– XVI का प्रयोग करने के लिए वह प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।

नियम 29 का संशोधन

4. "मूल नियम" के नियम 29 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए वर्तमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
29. डाक द्वारा या रेल, नदी या वायुमार्ग द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति : (1) कोई पंजीकृत व्यौहारी या पंजीकृत व्यौहारी से	**29. डाक द्वारा या रेल, नदी या वायुमार्ग द्वारा माल का आयात या उसकी प्राप्ति :** (1) कोई पंजीकृत व्यौहारी या पंजीकृत व्यौहारी से

भिन्न कोई व्यक्ति जो (राज्य के बाहर किसी स्थान से) राज्य के भीतर डाक, रेल, नदी, वायुमार्ग द्वारा धारा 48 की उपधारा (1) में अधिसूचित (या उसमें निर्दिष्ट) माल उस परिमाण, माप या मूल्य से अधिक आयात करना या प्राप्त करना चाहता है, जो तद्धीन विनिर्दिष्ट हो, अपने द्वारा सम्यक् रूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित, यथास्थिति घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा द्वितीय प्रति को पृष्ठांकन के लिए उस कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वह करोबार करता हो, अथवा यदि कारोबार न करता हो तो साधारणतया निवास करता हो।	भिन्न कोई व्यक्ति जो (राज्य के बाहर किसी स्थान से) राज्य के भीतर डाक, रेल, नदी, वायुमार्ग द्वारा धारा 48 की उपधारा (1) में अधिसूचित(या उसमें निर्दिष्ट) माल उस परिमाण, माप या मूल्य से अधिक आयात करना या प्राप्त करना चाहता है, जो तद्धीन विनिर्दिष्ट हो, अपने द्वारा सम्यक् रूप से भरे गए तथा हस्ताक्षरित, यथास्थिति घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा द्वितीय प्रति को पृष्ठांकन के लिए उस कर निर्धारक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता में वह करोबार करता हो, अथवा यदि कारोबार न करता हो तो साधारणतया निवास करता हो। परन्तु यह कि कमिश्नर विज्ञप्ति द्वारा ई–डेक्लेरेशन/ई–फार्म– XVI का प्रयोग करने के लिए वह प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।

नियम 30 का संशोधन **5.** मूल नियम के नियम 30 में–

(1) नीचे दिए गए स्तम्भ–1 में वर्तमान उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 वर्तमान उपनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
30. आयात हेतु घोषणा पत्रों का जारी और प्रस्तुत किया जाना :–	**30. आयात हेतु घोषणा पत्रों का जारी और प्रस्तुत किया जाना :–**
(3) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणापत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पांच रूपया प्रति प्रपत्र की दर से फीस का भुगतान नहीं कर दिया गया हो। प्रार्थनापत्र पर नियम 7 के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति या नियम 50 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।	(3) कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा कोई सादा घोषणापत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि पांच रूपया प्रति प्रपत्र की दर से फीस का भुगतान नहीं कर दिया गया हो। प्रार्थनापत्र पर नियम 7 के उपनियम (1) में उल्लिखित किसी एक व्यक्ति या नियम 50 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। परन्तु यह कि इस नियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, इलैक्ट्रॉनिक विधि से जारी किए गए अथवा जनरेट/डाउनलोड किए गए आयात घोषणा पत्रों के लिए कोई फीस देय नहीं होगी।

(2) नियम 30 के वर्तमान उपनियम (20) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम रख दिया जाएगा; अर्थात–

(21) जहाँ ई–डेक्लेरेशन / ई–फार्म– XVI का प्रयोग किया गया है, वहाँ ई–डेक्लेरेशन / ई–फार्म– XVI का प्रयोग करने के लिए वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसा कि कमिश्नर द्वारा विज्ञप्ति जारी करके विहित की जाए।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

सं0 181/2016/181(120)/XXVII(8)/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।

4–सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No 181 /2016/ 181(120) / XXVII(8)/ 2008 dated 29 February, 2016 for general information.

Government of Uttarakhand

Vitta Anubhag-8

No.181 / 2016/181(120)/ XXVII(8)/ 2008

Dehradun :: Dated:: 29 February, 2016

Notification

In exercise of the powers conferred by section 71 of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend in the Uttarakhand Value Added Tax Rules, 2005.

The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016

Short title and Commencement	**1.**	**(1)** These rules may be called The Uttarakhand Value Added Tax (Amendment) Rules, 2016. **(2)** They shall come into force at once.
Amendment in Rule 26	**3.**	For the existing sub-rule (2) and (3) of Rule 26(C) of the "Principal Rule" given in column-1 below, the following sub-rule given in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 **Existing Sub-Rule**	**Column-2** **Sub-Rule as hereby Substituted**
26(C) Import/Transport of Goods into the State against Declaration:	**26(C) Import/Transport of Goods into the State against Declaration:**
(2) Where such goods are to be consigned by road-	**(2)** Where such goods are to be consigned by road-
(a) The owner or as person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, before	**(a)** The owner or as person duly authorized by such owner or the driver or person-in-charge of a vehicle or of goods in movement, as the case may be, before

entering into the State shall, submit online information in form (hereinafter called "Trip Sheet") prescribed by the Commissioner and during the movements of goods in the State shall carry with him the following documents-	entering into the State shall, submit online information in form (hereinafter called "Trip Sheet") prescribed by the Commissioner and during the movements of goods in the State shall carry with him the following documents-
(i) Duly signed two e-generated copies of the online submitted "Trip Sheet".	(i) Duly signed two e-generated copies of the online submitted "Trip Sheet"
(ii) Completely filled Form of Declaration for Import in Form-XVI or certification for import in Form-XVII, as the case may be, in duplicate duly verified by the consigner.	**(ii)** Completely filled Form of Declaration for Import in Form-XVI or certification for import in Form-XVII, as the case may be, in duplicate duly verified by the consigner.
(iii) Sale invoice/bill or challan/other like document.	**(iii)** Sale invoice/bill or challan/other like document.
(iv) Document of title to goods/GR/bilty.	**(iv)** Document of title to goods/GR/bilty.
(b) The owner of the truck or the transport agency, forwarding agency or clearing agents, as the case may be, shall deliver to the consignee, while delivering the consigned goods, the duplicate copy of the declaration or certificate, as the case may be, and the sale invoices/bills/challans carried with the goods.	**(b)** The owner of the truck or the transport agency, forwarding agency or clearing agents, as the case may be, shall deliver to the consignee, while delivering the consigned goods, the duplicate copy of the declaration or certificate, as the case may be, and the sale invoices/bills/challans carried with the goods.
(C) The importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause(b) for such period, as may be prescribed by the Commissioner, and produce them before the Assessing	**(C)** The importer shall preserve the copies of declaration and other documents delivered to him or his agent under clause(b) for such period, as may be prescribed by the Commissioner, and produce them before the Assessing Authority in a manner and within

than a registered dealer desirous a importing or receiving into the State (from any place outside the State), by post, rail, river or air, goods notified under (or referred to in) sub-section (1) of Section 48 in excess of the quantity, measure or value specified thereunder, shall submit for endorsement the original and duplicate portions of the declaration or, as the case may be, certificate duly filled in and signed by him, to the Assessing Authority within whose territorial jurisdiction he carries on business or, if he does not carry on business he ordinarily resides.	than a registered dealer desirous a importing or receiving into the State (from any place outside the State), by post, rail, river or air, goods notified under (or referred to in) sub-section (1) of Section 48 in excess of the quantity, measure or value specified thereunder, shall submit for endorsement the original and duplicate portions of the declaration or, as the case may be, certificate duly filled in and signed by him, to the Assessing Authority within whose territorial jurisdiction he carries on business or, if he does not carry on business he ordinarily resides. Provided that Commissioner may by notification prescribe the manner in which e-declaration/e-Form-XVI shall be used.

Amendment in Rule 30

5. In Rule 30 of the Principal Rule-

(1) For the existing sub-rule(3) given in column-1, the following sub-rule given in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 **Existing Sub-Rule**	**Column-2** **Sub-Rule as hereby Substituted**
30. Issue and submission of Declaration Forms for Import :- **(3)** No blank declaration forms shall be issued by the assessing authority except on payment of a fee of rupees five per form. The application shall be signed by one of the persons mentioned in sub-rule	**30. Issue and submission of Declaration Forms for Import :-** **(3)** No blank declaration forms shall be issued by the assessing authority except on payment of a fee of rupees five per form. The application shall be signed by one of the persons mentioned in sub-rule (1) of Rule 7

Authority in a manner and within a time as may be notified by the Commissioner.	a time as may be notified by the Commissioner. Provided that Commissioner may by notification prescribe the manner in which e-declaration/e-Form-XVI shall be used.
(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in Form-XVI or the certificate in Form-XVII, as the case may be, duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorized by the Commissioner in this behalf in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner.	(3) Where such goods are brought into the State as personal luggage, the person bringing them shall carry with him the declaration in Form-XVI or the certificate in Form-XVII, as the case may be, duly filled in and signed by the importer and the importer shall submit the same for endorsement by the officer authorized by the Commissioner in this behalf in a manner and within a time as may be prescribed by the Commissioner. Provided that Commissioner may by notification prescribe the manner in which e-declaration/e-Form-XVI shall be used.

Amendment in Rule 29

4. For the existing sub-rule (1) of Rule 29 of the "Principal Rule" given in column-1, the following sub-rule given in column-2 shall be substituted; namely-

Column-1 **Existing sub-rule**	**Column-2** **hereby Substituted sub-rule**
29. Import or Receipt of Goods by Post, Rail, River or Air-	**29. Import or Receipt of Goods by Post, Rail, River or Air-**
(1) A registered dealer or a person other	**(1)** A registered dealer or a person other

(1) of Rule 7 or a person duly authorized under Rule 50. | or a person duly authorized under Rule 50.

Provided that notwithstanding anything contained in this Rule, no fee shall be payable for the electronic issuance or generation/downloading of declaration forms for import.

(2) After the existing sub-rule (20), the following new sub-rule shall be added; namely-

(21) Where e-declaration /e-Form-XVI is used, Commissioner may by notification prescribe the manner in which e-declaration/e-Form-XVI shall be used.

(Amit Singh Negi)
Secretary